राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.14(4)खान/ग्रुप–2/2014 जयपुर, दिनांकः 06 AUG 2021

परिपत्र

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 52(1) के संबंध में निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.05.2018 के क्रम में शासन के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.09.2020 से निर्देश प्रदान किये गये थे कि भविष्य में ध्यान रखा जावें कि नीतिगत मामलों में निर्देश शासन स्तर से ही जारी हो। पत्र द्वारा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि निदेशालय स्तर से पूर्व में जारी समस्त परिपत्र/आदेशों का पुनः परीक्षण/पुनरावलोकन किया जावें तथा जो परिपत्र/आदेश नीतिगत होकर क्षेत्राधिकार के बाहर जारी हुए है, उन्हें तत्काल विड्रों करें व यदि ऐसे परिपत्र/आदेश का वर्तमान परिपेक्ष्य में जारी रखा जाना आवश्यक हो तो शासन स्तर से इसकी कार्योत्तर पुष्टि प्राप्त की जावें।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि शासन पत्र दिनांक 18.09.2020 से प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप निदेशालय स्तर से जारी परिपत्र/आदेशों का पुनः परीक्षण/पुनरावलोकन नहीं किया गया है एवं वर्तमान में भी निदेशालय स्तर से नीतिगत निर्णयों के संबंध में जारी परिपत्र/आदेश/निर्देश प्रभावी है जिसके कारण अधिनस्थ कार्यालयों में नियमों के संबंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

अतः शासन द्वारा पूर्व में जारी पत्र दिनांक 18.09.2020 की निरन्तरता में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि निदेशालय स्तर से पूर्व में जारी समस्त परिपत्र/आदेश/निर्देश का परीक्षण/पुनरावलोकन किया जावे। जो परिपत्र/आदेश/निर्देश नीतिगत होकर क्षेत्राधिकार के बाहर जारी हुए है, उन्हें तत्काल विड्रों किया जावे, यदि ऐसे परिपत्र/आदेश को वर्तमान परिपेक्ष्य में जारी रखा जाना आवश्यक है, तो इसकी कार्योत्तर पुष्टि प्राप्त की जावें। भविष्य में नीतिगत निर्णयों के संबंध में निदेशालय स्तर से कोई भी परिपत्र/आदेश/निर्देश जारी नहीं किये जावें।

4074 13/8/2021

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय मंत्री, खान एवं गोपालन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
4. DMGOMS प्रकोष्ठ, खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर को परिपत्र की प्रति विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

Scanned by CamScanner